आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–14

प्रेषक,

निदेशक, . .
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

उप निदेशक(पं0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

संख्या–1/शा0/79/2014–1/69/2014 : लखनऊः दिनांक 01 अक्टूबर, 2014

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक संयुक्त सचिव पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2528/33–3–2014–100(15)/2013, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जनपद बस्ती एवं जालौन के लिए प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 में इंगित निर्देशों, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार निम्न प्रकार कुल रू0–**32,32,00,000/–(रूपया बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि आवंटित की जाती है :–

1– प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन्स, एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

2– उक्त आवंटित धनराशि को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ई–बैंक अन्तरण प्रणाली प्रकिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी, शासनादेश संख्या–1919/33–3–2008–100(57)/2008 दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में ही रखा जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा।

3– उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 अनुदान संख्या–14 आयोजनागत मद (पूँजीगत व्यय) के अन्तर्गत संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार तथा निकायवार विवरण में उल्लिखित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

4– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण निर्धारित प्रारूप पर बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी क़ालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

5– यदि बी0एम0–4 पर सूचना नियमित एवं समयवद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

6– आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना इस लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

7– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–41, 43, 45 व 47 पर अंकित है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

कृ0पृ0उ0

संख्याः 1/शा0/79/1/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3–प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4–आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
5–जिलाधिकारी, बस्ती एवं जालौन।
6–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
7–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
8–वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9–निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10–परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11–मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बस्ती एवं जालौन।
12–अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद बस्ती एवं जालौन।
13–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
14–अप्र मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/नोडल अधिकारी, जनपद बस्ती एवं जालौन।
15–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(शहजाद अहमद अंसारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्या– 2528 /33–3–2014–100(15)/2013

प्रेषक,

राकेश कुमार
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक : 01 अक्टूबर, 2014

विषयः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत चयनित जनपदों को वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम किश्त की धनराशि आवंटित/स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के पत्र संख्या– 1156/33–पी.एम.यू.–2014–1284/2013 दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा जनपद बस्ती एवं जालौन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 की प्रथम किश्त की धनराशि योजनान्तर्गत अवमुक्त की गयी है, तद्नुसार धनराशि को वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के लेखा शीर्षक वार/निकायवार/पंचायतवार संलग्न फॉट के अनुसार स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव किया गया है। अतः परियोजना निदेशक, बी. आर.जी.एफ. के उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न फॉट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी0आर0जी0एफ0) योजनान्तर्गत ''विकास अनुदान'' मद में प्राविधानित धनराशि रू0–8181700 हजार में से रू0 32,32,00,000/– (रू0 बत्तीस करोड़ बत्तीस लाख मात्र) की धनराशि, को संलग्न पंचायतवार/निकायवार फॉट के अनुसार, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–2467/दस–2014–231/2014, दिनांक 22 जुलाई 2014 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

3039
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

निदेशक
7/10/14

(1) प्रश्नगत धनराशि का आहरण/व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार की गाइडलाइन्स, एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि निदेशक, पंचायती राज द्वारा ई–बैंक अंतरण प्रणाली प्रक्रिया के अनुरूप सीधे जिले के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत /नोडल अधिकारी के खाते मे हस्तान्तरित की जायेगी। शासनादेश संख्या–1919/33–3–2008–100(57)/08, दिनांक 30.12.2008 में दिये गये निर्देशानुसार उपरोक्त धनराशि योजनान्तर्गत राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खातें में ही रखा जायेगा, जिसका लेखा जोखा व कैशबुक पृथक से अनुरक्षित किया जायेगा ।

(3) इस धनराशि से वे कार्य ही कराए जाएँगें जिनकी स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासनादेश संख्या–612/33–3–2013–59/2013, दिनांक 22 फरवरी, 2013 के अधीन प्रदान की जाए। जिलाधिकारी योजनाओं की स्वीकृति एवं बी0आर0जी0एफ0 विकास अनुदान खाता से धनराशि के आहरण की स्वीकृति देने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि उक्त योजना जिला योजना समिति द्वारा वार्षिक कार्य योजना के रूप में अनुमोदित हो।

(4) समस्त कार्यो/परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरक
मार्गनिर्देशिका तथा राज्य सरकार व परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र
निधि द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुरुप ही किया जा
शासनादेश सं0–686/33–3–2013–69/2013, दिनांक 01.03.2013 में उल्लि
व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला योजना प्रबंध इकाई ए
पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा योजनाओं का कियान्वयन
शासनादेश सं0–609/33–3–2013–48/2013, दिनांक 22.02.2013 में उल्लिखित
व्यवस्थानुसार किया जायेगा। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अधिकारी
परियोजनाओं के निरीक्षण हेतु उत्तरदायी होंगे।

(5) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटित धनराशि को जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा नगर निकाय को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझी जाए। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही है। अतः भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत योजनाओं का कार्य/परियोजना स्थल का निर्धारण करना, तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व व्यय का पूर्ण विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि/भारत सरकार को निर्धारित समयावधि तक उपलब्ध कराना अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता का उत्तरदायित्व होगा। अतः पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से स्वीकृत धनराशि का अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और मदवार मासिक व्यय विवरण परियोजना प्रबन्ध इकाई को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार संबंधित जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व नगर निकाय द्वारा भी अपने–अपने स्तर पर स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा जोखा रखा जाएगा और माह के अन्त में लेखा रजिस्टर उत्तरदायी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुपपत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता को उपलब्ध कराए जाएँगें। अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा नियमित रुप से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रुप पत्रों पर प्रगति विवरण एवं भारत सरकार को भेजे जाने वाला उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारुप पर परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा।

(7) अपर मुख्य अधिकारी (नोडल अधिकारी)/वित्तीय परामर्शदाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस शासनादेश के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर ही किया जाए और किसी भी दशा में व्यावर्तन नहीं किया जाएगा।

(8) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व पंचायतवार/निकायवार ए संलग्न फॉट के सही होने/ धनराशियों का आहरण बजट प्राविधान के अर्न्तग वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपयुक्त लेखा शीर्षकवार ही किया जाना सुनिश्चि करने का दायित्व, परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, बी.आर.जी.ए उ0प्र0 का होगा।

(9) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व परियोजना निदेशक, बी.आर. जी.एफ. यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि इन धनराशियों के संबंध में भारत सरकार के संबंधित पत्रों के माध्यम से संबंधित जनपदों के लिए उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी हैं, उनमें जनपदवार/निकायवार/पंचायतवार /एस. सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. तथा नान /एस.सी. पी.एस.सी./एस.टी.एस.पी. कम्पोनेन्टवार अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष ही धनराशियॉ व्यय की जायेंगी तथा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एव भारत सरकार के गाइडलाइन्स का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त योजनान्तर्गत होने वाला व्यय संलग्न फॉट के अनुसार पंचायतवार/निकायवार विवरण में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–14 आयोजनागत–पूँजीगत व्यय के अर्न्तगत सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2457/दस–2014–231/2014दिनांक 22 जुलाई, 2014 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव।

2528
संख्या : (1)/33–3–2014–100(15)/2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– स्टाफ अधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
4– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उत्तर प्रदेश।
7– परियोजना निदेशक, परियोजना प्रबन्ध इकाई, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि,उ0प्र0
8– आयुक्त, संबंधित मण्डल।
9– अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद, बस्ती एवं जालौन।
10– जिलाधिकारी, जनपद बस्ती एवं जालौन।
11– मुख्य विकास अधिकारी, जनपद बस्ती एवं जालौन।
12– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद बस्ती एवं जालौन।
13– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी–2/आडिट–2, इलाहाबाद।
14– वित्त (आय–व्ययक) 1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
15– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
16– पंचायतीराज अनुभाग–1/2
17– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।